रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1543] नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 2016/ज्येष्ठ 30, 1938
No. 1543] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 2016/JYAISTHA 30, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून , 2016

का.आ. 2156(अ).- केंद्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 के साथ पठित धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (vii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ज) में निर्दिश्त लोक सेवकों के संबंध में गृह मंत्रालय के भारसाधक मंत्री को "सक्षम प्राधिकारी" अधिसूचित करती है।

2. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

(i) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त संदानों से संबंधित वार्षिक विवरणों का किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किया जाना उस समय तक, जब तक पूर्वोक्त संदान की पूर्ण रकम ऐसी सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास द्वारा पूर्णतया उपयोग नहीं कर ली जाती है, जारी रहेगा, जो प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं) का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है ;

(ii) "प्रत्येक अन्य सोसाइटी" अभिव्यक्ति से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नहीं आती है।

[फा. सं. 407/02/2016-एवीडी-IV(लोकपाल)]

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2016

S.O.2156(E).—In exercise of the powers conferred under sub-clause (vii) of clause (c) of sub-section (1) of section 2 read with section 14 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies that the "competent authority" in relation to public servants referred in clause (h) of sub- section (1) of section 14 of the said Act, shall be the Minister-in-charge of the Ministry of Home Affairs.

2. For the purposes of this notification,-

(i) the annual returns relating to receipt of any donations from any foreign source under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) shall continue to be filed by any person who is or has been a director, manager, secretary or other officer of every other society or association of persons or trust (whether registered under any law for the time being in force or not), till such time the entire amount of the donation aforesaid, received by such society or association of persons or trust stands fully utilised;

(ii) the expression "every other society" means a society not covered under clause (f) of sub-section (1) of section 14 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

[F.No.407/02/2016-AVD-IV(Lokpal)]
JISHNU BARUA, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.